(10)

संख्या 72 /XXVII (7)/2011

प्रेषक,

राधा रतूड़ी,
सचिव वित्त,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

1. निदेशक, विद्यालयी शिक्षा।
2. प्रबन्ध निदेशक, उत्तराखण्ड पेयजल संसाधन निगम।
3. महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण।
4. मुख्य अभियन्ता, लघु सिंचाई।
5. मुख्य अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष, सिंचाई विभाग।
6. प्रमुख मुख्य वन संरक्षक, वन विभाग।
7. मुख्य अभियन्ता, ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा।

वित्त आडिट प्रकोष्ठ

देहरादून : दिनांक 26 जुलाई, 2011

विषयः- विभागों में ई-प्रोक्योरमेंन्ट सिस्टम लागू किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

जैसा कि आप अवगत है शासनादेश संख्या 102/XXVII(7)दि0 06 जुलाई, 2011 के द्वारा राज्य में ई-प्रोक्योरमेंन्ट सिस्टम लागू किये जाने का निर्णय लिया गया है। ई-प्रोक्योरमेंन्ट सिस्टम को भारत सरकार के मिशन मोड प्रोजेक्ट के अन्तर्गत क्रियान्वित किया जाना है। विषयगत प्रकरण पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रथम चरण में आपके विभाग में ई-प्रोक्योरमेंन्ट सिस्टम लागू किया जाना है। कृपया उक्त व्यवस्था लागू करने के लिए अपने स्तर से निम्न कार्यवाही करने का कष्ट करें-

1. ई-प्रोक्योरमेंन्ट सिस्टम लागू करने के लिए विभाग के किसी वरिष्ठ अधिकारी को नोडल अधिकारी नामित किया जाना है। विभागीय नोडल अधिकारी कोर ग्रुप के सम्पर्क में रहते हुए अपने विभाग में उक्त योजना को लागू करने के सम्बन्ध में सभी आवश्यक प्रशासनिक, तकनीकी एवं प्रशिक्षण से सम्बन्धित कार्य सम्पन्न करायेंगे। शासन द्वारा गठित कोर ग्रुप का शासनादेश संलग्न है।
2. विभाग में मुख्यालय स्तर पर ई-प्रोक्योरमेंन्ट प्रकोष्ठ की स्थापना की जानी है। जिसमें नोडल अधिकारी के अतिरिक्त वित्त नियंत्रक एवं दो से तीन कम्प्यूटर की अभिरूचि रखने वाले अधिकारी/कार्मिक शामिल होंगे। यह प्रकोष्ठ विभाग में ई-प्रोक्योरमेंन्ट लागू करने के सम्बन्ध के समस्त कार्य सम्पन्न करेगा।

ई-प्रोक्योरमेंन्ट लागू करने के लिए ई- टेण्डर करने वाले प्रत्येक कार्यालय को निम्न हार्डवेयर की आवश्यकता होगी:-

क- कम्प्यूटर (यू0एस0बी0 पोर्ट के साथ)
ख- लेजर प्रिन्टर
ग- इन्टरनेट कनेक्शन न्यूनतम 512 KBPS
घ- स्कैनर

4. विभागीय नोडल अधिकारी सहित प्रोक्योरमेंन्ट प्रक्रिया में प्रतिभाग करने वाले समस्त अधिकारियों को Digital Signature प्राप्त किया जाना आवश्यक होगा जो कि उनके नाम से जारी किया जायेगा एवं जारी करने की तिथि से दो साल तक वैद्य होगा। Digital Signature सरकारी अधिकारियों को एन0आई0सी0 द्वारा जारी कराया जायेगा। Digital Signature प्राप्त करने हेतु निर्धारित फार्म पर विभागीय नोडल अधिकारी के माध्यम से एन0आई0सी0 को आवेदन उपलब्ध कराना होगा।

(11)

5. ई–प्रोक्योरमेन्ट मे प्रतिभाग करने वाले सभी अधिकारियों को अधिकारिक ई–मेल एड्रेस प्राप्त किया जाना आवश्यक है ताकि पासवर्ड इत्यादि की सूचना ई–मेल से प्रेषित की जा सके।
6. ई–प्रोक्योरमेन्ट में प्रतिभाग करने वाले कान्ट्रेक्टर द्वारा प्रथम बार Digital Signature भारत सरकार की इम्पेनल्ड एजेन्सी के माध्यम से निर्धारित शुल्क पर प्राप्त किये जा सकते है। विभागीय नोडल अधिकारी इस सम्बन्ध में सभी कान्ट्रेक्टरों को मार्गदर्शित करेगे।
7. विभागीय नोडल अधिकारी system administrator के रूप में कार्य करेगे जिसमें user create करना, user को role assign करना जैसी सेवायें शामिल है। एन0आई0सी0 द्वारा system administrator को user login password उपलब्ध कराया जायेगा, जिसका प्रयोग करके वह विभागीय कार्यालय/अधिकारियों हेतु user create कर सकेगे।

इस योजना को लागू करने के सम्बन्ध में ई–प्रोक्योरमेन्ट प्रकोष्ठ की प्रथम बैठक दि0 22 जुलाई, 2011 को 23 लक्ष्मी रोड स्थित वित्त विभाग के डेटा सेन्टर में सम्पन्न हुई थी। बैठक में उपस्थित आपके विभाग के वित्त नियंत्रको को उपलब्ध कराये गये प्रपत्रों को भर कर 05 अगस्त 2011 तक संयोजक ई–प्रोक्योरमेन्ट प्रकोष्ठ को उपलब्ध कराने का कष्ट करें। ताकि उक्त व्यवस्था को लागू करने के सम्बन्ध में अग्रेत्तर कार्यवाही की जा सके।

इस सम्बन्ध में एक समीक्षा बैठक दिनांक: 11 अगस्त, 2011 को पूर्वान्हः 11 बजे वित्तीय डेटा सेन्टर 23 लक्ष्मी रोड, डालनवाला देहरादून में आहूत की गई है। इस बैठक में विभागाध्यक्ष, नोडल अधिकारी तथा वित्त नियंत्रक द्वारा अनिवार्य रूप से प्रतिभाग किया जाना है।

संलग्नक– उपरोक्तानुसार।

भवदीय,

(राधा रतूडी)
सचिव वित्त।

संख्या– /xxvii (7)/2011 तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. निजी सचिव, प्रमुख सचिव, वित्त, उत्तराखण्ड शासन।
2. प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
3. एस0आई0ओ0, एन0आई0सी0।
4. वित्त अनुभाग–7, उत्तराखण्ड शासन।
5. श्री अरूणेन्द्र सिंह चौहान, संयोजक, ई–प्रोक्योरमेन्ट प्रकोष्ठ।

आज्ञा से,

(राधा रतूडी)
सचिव वित्त।